कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर

(वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर) जोधपुर महानगर

(फोन नं. – 0291–2943480; ई–मेल आई0डी0: dlsa23jodhpurmetro@gmail.com)

क्रमांकः जि.वि.से.प्रा.जो.महा./PLV–विज्ञप्ति/2024/01 दिनांकः 04–04–2024

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र हेतु 19 पैरा लीगल वॉलिण्टियर्स के पदों पर बाद प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

पंचायत समिति का नाम	पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स की संख्या
जोधपुर महानगर, जोधपुर	11
पंचायत समिति, लूणी	02
पंचायत समिति, मण्डोर	04
पंचायत समिति, तिंवरी	02

1. **शैक्षणिक योग्यताः** आवेदक का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी होनी चाहिए।

2. **आवेदन पत्रः** इस पद हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।

3. **परीक्षाः** आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा तथा सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा।

4. **चरित्रः** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

5. **शारीरिक योग्यताः** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होने चाहिए।

6. **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावें:**

- ☐ जन्मतिथि प्रमाण हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- ☐ शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रति।
- ☐ दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- ☐ आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
- ☐ जाति प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।

7. **आवेदन की अंतिम तिथिः** आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के कार्यालय में **दिनांक 16.04.2024 को दोपहर 02.00 बजे तक** प्राप्त किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

पात्रता :– निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी. हेतु आवेदन कर सकते हैं :– सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डब्ल्यू. छात्र/छात्राएं व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/ फिजिशियन, छात्र/छात्राएं व विधि छात्र/छात्राएं (जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हों), गैर राजनीतिक दलों के सदस्य, सेवाभावी एन.जी.ओ., क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो। पी.एल.वी. चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शोर्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पी.एल.वी. चयन हेतु अनु.जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में भी सुनिश्चित किया जायेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

8. **<u>चयनित पी.एल.वी. के कर्त्तव्य (ड्यूटी) :–</u>**

- समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत करवाना।
- पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व दं.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह की विजिट करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वॉयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
- विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि–लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
- पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके क्षेत्र में होने वाली विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
- पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा, अस्पताल, बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं, आवासीय सेवाएं, लिक्वीफाइड पेट्रोलियम, गैस संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल का प्रचार व प्रसार करना।

9. **<u>साक्षात्कार:</u>** जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र हेतु पैरा लीगल वॉलेंटियर्स की नियुक्ति बाबत् आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के कार्यालय में सम्पादित किया जायेगा, जिसकी दिनांक व तिथि से आवेदनकर्ता को पृथक से सूचित किया जायेगा।

<u>स्पष्टीकरण :– यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में यह अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान अर्थात् जिला स्तर पर या किसी पंचायत समिति में पी.एल.वी. के रूप में कार्य करना चाहता है, उस पंचायत समिति का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित करे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत आवेदक को ही प्राथमिकता दी जायेगी। यदि स्थानीय निवासी न मिले तो ही पड़ौस के पंचायत समितिं के निवासी पर आवेदक के आवेदन पर विचार किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर द्वारा समय–समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।</u>

नोट :– आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में ही आवेदन करें। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर, न्यायक्षेत्र की वेबसाईट **<u>https://jodhpurmetro.dcourts.gov.in</u>** से भी डाउनलोड कर सकते है।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश)
जोधपुर महानगर, जोधपुर

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर

(वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर) जोधपुर महानगर
(फोन नं. – 0291–2943480; ई–मेल आई0डी0: dlsa23jodhpurmetro@gmail.com)

अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो

–:: आवेदन–पत्र ::–

1.	आवेदक का नाम	:	....
2	पिता/पति का नाम	:	....
3	विवाहित/अविवाहित (विवाहित होने की स्थिति में पति/पत्नि का नाम लिखें)	:	....
4	जाति (संवर्ग) – सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वह लिखें)	:	....
5	स्थाई पता मय दूरभाष/मोबाईल नम्बर	:	....
6	वर्तमान पता	:	....
7	स्थानीय पंचायत समिति का नाम	:	....
8	पड़ौस की पंचायत समिति का नाम	:	....
9	आवेदक पीएलवी के रूप में जिस स्थान / क्षेत्र/पंचायत समिति में स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है उस क्षेत्र/पंचायत समिति का नाम	:	....
10	निकटतम पुलिस स्टेशन	:	....
11	जन्म तिथि (अंकों में)	:	....
	(शब्दों में)	:	....
	वर्तमान आयु	:	....
12	शैक्षणिक योग्यता	:	....
13	यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है तो किस पद से सेवानिवृत हुए	:	....
14	आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण	:	....
15	यदि पूर्व में सामुदायिक कार्यकर्ता (Community Worker) के रूप में कार्य किया गया हो तो उसका संक्षिप्त विवरण (हॉ/नहीं)	:	....
16	कम्प्यूटर ज्ञान (हॉ/नहीं)	:	....

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी ....सत्यापित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है तथा मैं.. क्षेत्र/पंचायत समिति में पीएलवी के रूप में कार्य करने का/की इच्छुक हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)